EMAIL

कार्यालय आयुक्त, आदिवासी विकास

मध्य प्रदेश

क्रमांक/शिक्षा शाला/कोविड-19/2020/ 11606 भोपाल, दिनांक 6/7/2020

प्रति,

1. सर्व सहायक आयुक्त,
   आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश ।
2. सर्व जिला संयोजक,
   आदिम जाति कल्याण विभाग,
   मध्य प्रदेश ।

विषय :- कोविड -19 महामारी के संक्रमण को दृष्टिगट रखते हुए शैक्षणिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों के संचालन बाबत ।

----o----

विषयान्तर्गत मध्यप्रदेश शासन द्वारा आगामी माह में विद्यालय संचालन किये जाने के संबंध में विचार किया जा रहा है । कोविड -19 महामारी के संक्रमण को दृष्टिगट रखते हुए भारत सरकार एवं राज्य शासन द्वारा समय समय पर बचाव एवं सावधानियों के संबंध में गाईडलाईन जारी की गई है ।

कोविड -19 महामारी के संक्रमण से बचाव एवं सावधानियों हेतु संलग्न निर्देशों का पालन करते हुए विभागीय विद्यालयों का संचालन सुनिश्चित किया जाये ।

(बी.चन्द्रशेखर) 4/7/20

आयुक्त

आदिवासी विकास

मध्य प्रदेश

पृ०क्र०/शिक्षा शाला/कोविड-19/2020/ 11607 भोपाल, दिनांक 6/7/2020

प्रतिलिपि :-

1. सर्व कलेक्टर्स मध्यप्रदेश ।
2. सर्व संभागीय उप आयुक्त, आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश ।
3. सर्व प्राचार्य विशिष्ट आवासीय विद्यालय (एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कन्या शिक्षा परिसर, आदर्श आवासीय विद्यालय, विशेष पिछड़ी जनजाति आवासीय विद्यालय) आदिवासी विकास विभाग मध्यप्रदेश ।

आयुक्त

आदिवासी विकास

मध्य प्रदेश

कोविड -19 महामारी के संक्रमण को दृष्टिगट रखते हुए विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ होने पर खोले जाने के लिए निम्न निर्देश जारी किये जाते है :-

(अ) विशिष्ट आवासीय विद्यालय

(1) विद्यालय खोलने के पूर्व की तैयारियां :-

1. सर्वप्रथम समस्त विद्यालयों के संस्था प्रमुख/प्राचार्यों की वीडिओ कांफ्रेंसिंग/वेब मीटिंग पर कार्य योजना तैयार की जाये ।
2. विद्यालय में प्रवेशित विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार कक्षाओं को लगाने का कार्य एक दिन छोड़कर अथवा दो पालियों में विद्यालय लगाये जायें । किसी भी स्थिति में विद्यालय में विद्यार्थियों का झुण्ड/ग्रुप न बनें, विद्यालय में होने वाली प्रार्थना उनकी कक्षा में करायी जाये।
3. विद्यार्थियों को उनके घर से स्कूल तक आने में उपयोग किये जाने वाले परिवहन संसाधन में भी उनके मध्य भौतिक दूरी एवं अन्य कोविड-19 के तहत जारी किये गये अन्य निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाये ।
4. विद्यार्थियों को शाला से घर पर जाने के पश्चात भी कोविड-19 से बचाव हेतु समस्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए जायें ।
5. विद्यार्थियों के शाला आने पर, उनके भोजन के पूर्व एवं घर वापसी के पूर्व हाथ धुलाने का कार्य अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये ।
6. विद्यालय की स्वच्छता, विद्यार्थियों के मध्य भौतिक दूरी, विद्यार्थियों की स्वच्छता आदि के लिए विद्यालय स्तर पर शिक्षकों की समिति बनाई जाये, जो समस्त निर्देशों का पालन कराये। उक्त समस्त कार्य प्राचार्य की देखरेख में किया जाये । इस हेतु इस समिति में स्वास्थ्य विभाग की कमियों, महिला बाल विकास की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का सहयोग लिया जाये।
7. किसी भी विद्यार्थी को किसी प्रकार की शारीरिक समस्या यथा सर्दी, जुकाम, बुखार आदि होने पर विद्यालय में न बुलायें ।
8. कक्षा में प्रवेश के पूर्व प्रत्येक विद्यार्थी का तापमान मापा जावे, सामान्य से अधिक शारीरिक तापमान होने/बुखार होने पर कक्षा में प्रवेश न दिया जावे ।
9. विद्यालय खोले जाने के पूर्व पूरे भवन की साफ-सफाई, कक्षों की सफाई, शौचालय और स्नानागार की सफाई, मध्यान्ह भोजन किचन और भोजन कक्ष की सफाई , पानी टंकी की सफाई , आंतरिक एवं वाह्य प्रांगण की डिटर्जंट से धुलाई एवं सफाई की जायें।
10. छात्रों के उपयोग में आने वाले क्लासरूम, क्लासरूम के फर्नीचर, आदि को सेनेटाईज कराकर संक्रमणमुक्त किया जाये ।

11.आंतरिक एवं बाह्य प्रांगण में पाये जाने वाले अनावश्यक कचरे एवं अन्य सामग्री का विनिष्टीकरण किया जाये।

12.समस्त प्रयोगशाला कक्ष, कम्प्यूटर कक्ष, लायब्रेरी प्राचार्य/स्टाफ कक्ष एवं शिक्षण हेतु उपयोग में आने वाले उपकरण/सामग्री को सेनेटाईज कराकर संक्रमणमुक्त किया जाये।

13.उपरोक्त साफ-सफाई किये जाने के पश्चात विद्यार्थियों के आने के पूर्व सम्पूर्ण भवन को स्थानीय निकाय/जिला प्रशासन के सहयोग से पूरी तरह से सेनेटाईज किया जाये।

14.विद्यार्थियों के आने के पूर्व छात्र/छात्राओं की संख्या एवं उनके साईज को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक छात्र/छात्राओं हेतु कपड़े के मास्क की व्यवस्था की जाये।

15.कक्षा में विद्यार्थियों के मध्य भौतिक दूरी रखते हुए एक विद्यार्थी के लिए एक ही डेस्क एवं कुर्सी का उपयोग किया जाये । कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने पर एक ही कक्षा के अतिरिक्त वर्ग बनाये जाकर कक्षायें लगाई जायें ।

16.स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों से संपर्क कर विद्यार्थियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले भोज्य पदार्थों को मध्यान्ह भोजन में शामिल किये जाने के लिंये आवश्यक परामर्श लिया जाये, तथा रोग से बचाव के लिये विटामिन सी अथवा अन्य औषधि प्रदाय की जाये।

17.छात्र/छात्राओं को परिसर में थूकने पर प्रतिबंध लगाया जाये।

18. कोविड-19 से बचाव हेतु सावधानी एवं जागरूकता को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय परिसर में पोस्टर लगाये जायें ।

(2) विद्यार्थियों के आने पर कक्षा संचालन के समय सावधानिया एवं निर्देश:-

1. छात्र के आगमन पर गेट पर ही साबून से हाथ पैर धुलवाएं तथा विद्यार्थी के साथ लाई गई सामग्री को सेनेटाईज किया जाये तथा मास्क उपलब्ध कराया जाये ।
2. उच्च कक्षाओं में कराये जाने वाले प्रयोग (प्रेक्टिकल) यथा- भौतिक, रसायन, बॉयलॉजी में भी विद्यार्थियों के मध्य भौतिक दूरी का ध्यान रखा जावे ।
3. विद्यालय में आने के पश्चात उन्हें किताबों के वितरण करते हुए टाईम टेबल के अनुसार गृहकार्य (Homework) दिया जाये, जिससे जिस दिन जिस कक्षा के विद्यार्थियों की पाली शाला आने की न हो उस दिन विद्यार्थी घर पर रहकर स्वअध्ययन कर सके ।
4. कक्षा में प्रवेश के पूर्व छात्र का थर्मल स्कीनिंग किया जाना सुनिश्चित करें तथा प्रतिदिन छात्रों की निश्चित समय पर थर्मल स्कीनिंग की जाये ।

5. प्रवेश के समय ही विद्यार्थियों को आवश्यक सावधानियां यथा बिना मास्क बातचीत न करें, यथा संभव आपस में दूरी बनाये रखे, एक दूसरे के शारीरिक संपर्क न करें (हाथ मिलाना, गले लगना) ।
6. विद्यार्थी खांसते एवं छींकते समय मुह पर मास्क अथवा रूमाल का उपयोग करें तथा उसे प्रतिदिन धोया जाना सुनिश्चित करने हेतु विद्यार्थियों को बताया जावे ।
7. बाहर से आने-जाने के दरवाजों को सामान्य रूप से खुला रखे तथा समय-समय से उनके हैंडल को सेनेटाईज करते रहें।
8. जब भी कोई भी छात्र/छात्राएं प्रतिदिन बाहर से आये तो हेंडवास, सेनेटाईज की प्रक्रिया की जाये।
9. बच्चों को कोविड-19 के बारे में से सामान्य जानकारी एवं उसके प्रति जागरूकता, सामान्य लक्षण, उसके लिये अपनाई जाने वाली सावधानियां के बारे समुचित रूप से जानकारी दी जाये।
10. विद्यालयों में कोविड-19 के बारे में जागरूकता के शिविर का आयोजन स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से किया जाये।
11. किसी भी विद्यार्थी में कोरोना के संभावित लक्षण दिखायी देते है तो तत्काल उसको अन्य विद्यार्थियों से पृथक कक्ष में रखा जाये तथा तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र, जिला नियंत्रण कक्ष, विभागीय अधिकारीयों को सूचित किया जाये ।
12. केन्द्र सरकार, जिला सरकार एवं जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(3) विद्यालय के स्टाफ के लिये निर्देश :-

4. विद्यालय में कार्य करने वाले समस्त शैक्षणिक एवं अन्य कर्मचारियों को नियमित रूप से मास्क पहनना अनिवार्य होगा, मध्यान्ह भोजन बनाने वाले कर्मचारी अपने हाथों को समय-समय पर साबून से धोते रहे, बालों को ढंक कर रखें, खांसते एवं छींकते समय मुह पर रूमाल अथवा मास्क अनिवार्य रूप से पहने ।
5. मध्यान्ह भोजन हेतु बाहर से लाई जाने वाली सामग्री फल, सब्जी, अनाज इत्यादि का विधिवत सेनेटाईजेशन एवं पर्याप्त साफ-सफाई के बाद ही उपयोग में लाई जाये।
6. रसोई में भोजन बनाने वाले कर्मचारी भोजन बनाते समय पहनने वाले कपड़े स्थायी रूप से संस्था के किसी सुरक्षित स्थान पर रखे इन्ही कपड़ो को पहन कर ही भोजन बनाये संस्था परिसर के बाहर इन कपड़ो को पहन कर ना जाये । बाहर आने जाने के लिये पृथक से कपड़ो की व्यवस्था करें ।

(ब) विशिष्ट आवासीय विद्यालय अंतर्गत संचालित छात्रावास

(1) छात्रावास खोलने के पूर्व की तैयारियां :-

1. छात्रावास खोले जाने के पूर्व पूरे भवन की साफ-सफाई, कक्षों की सफाई, शौचालय और स्नानागार की सफाई, किचन और भोजन कक्ष की सफाई, पानी टंकी की सफाई , आंतरिक एवं वाह्य प्रांगण की डिटर्जेंट से धुलाई एवं सफाई की जायें।
2. छात्रों के उपयोग में आने वाले बिस्तर सामग्री - पंलग, गद्दा , तकिया, चादर, कंवल , परदे आदि की यथा संभव धुलाई / धूप में सुखाया जाना सुनिश्चित करें साथ ही धुलाई के लिये Disenfecent का उपयोग किया जाये ।
3. आंतरिक एवं बाहय प्रांगण में पाये जाने वाले अनावश्यक कचरे एवं अन्य सामग्री का विनिष्टीकरण किया जाये।
4. रसोई घर में समस्त प्रकार के बर्तन, भण्डारण के बर्तन एवं अन्य उपकरण आदि की साफ-सफाई की जाये।
5. उपरोक्त साफ-सफाई किये जाने के पश्चात विद्यार्थियों के आने के पूर्व सम्पूर्ण भवन को स्थानीय निकाय/जिला प्रशासन के सहयोग से पूरी तरह से सेनेटाईज किया जाये।
6. विद्यार्थियों के आने के पूर्व छात्र/छात्राओं की संख्या एवं उनके साईज को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक छात्र/छात्राओं हेतु मास्क की व्यवस्था की जाये।
7. छात्र संख्या के मान से प्रत्येक विद्यार्थियों को पृथक-पृथक पलंग एवं बिस्तर उपलब्ध कराया जाये तथा प्रत्येक पलंग के बीच 2 गज की दूरी रखी जाये।
8. स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों से संपर्क कर विद्यार्थियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले भोज्य पदार्थों को भोजन में शामिल किये जाने के लिये आवश्यक परामर्श लिया जाये, तथा रोग से बचाव के लिये विटामिन सी अथवा अन्य औषधि प्रदाय की जाये।
9. छात्र/छात्राओं को परिसर में थूकने पर प्रतिबंध लगाया जाये।

(2) छात्रों के आने पर छात्रावास संचालन के समय सावधानिया एवं निर्देश:-

1. छात्र के आगमन पर गेट पर ही साबून से हाथ पैर धुलवाएं तथा विद्यार्थी के साथ लाई गई सामग्री को सेनेटाईज किया जाये तथा मास्क उपलब्ध कराया जाये ।
2. छात्रावास में प्रवेश के पूर्व छात्र का थर्मल स्कीनिंग किया जाना सुनिश्चित करें । आकस्मिकता निधि अंतर्गत संस्था को प्रदत्त राशि से छात्रावास एवं विद्यालय हेतु एक-एम थर्मल स्कीनिंग मशीन की व्यवस्था की जावें तथा प्रतिदिन छात्रों की निश्चित समय पर थर्मल स्कीनिंग की जाये ।

3. प्रवेश के समय ही विद्यार्थियों को आवश्यक सावधानियां यथा बिना मास्क बातचीत न करें, यथा संभव आपस में दूरी बनाये रखे, एक दूसरे के शारीरिक संपर्क न करें (हाथ मिलाना, गले लगना) ।
4. छात्र खांसते एवं छींकते समय मुह पर मास्क अथवा रूमाल का उपयोग करें तथा इनका प्रतिदिन धोया जाना सुनिश्चित करें।
5. छात्रावास में छात्र एक-दुसरे छात्र के साथ अपने पहनने के कपड़े, बिस्तर,रूमाल/तोलिये एवं भोजन के बर्तन आदि का आपस में लेन-देन न करें।
6. बाहर से आने-जाने के दरवाजों को सामान्य रूप से खुला रखे तथा समय-समय से उनके हैंडल को सेनेटाईज करते रहें।
7. जब भी कोई भी छात्र/छात्राएं प्रतिदिन बाहर से आये तो हेंडवास, सेनेटाईज की प्रक्रिया की जाये।
8. बच्चों को कोविड-19 के बारे में से सामान्य जानकारी एवं उसके प्रति जागरूकता, सामान्य लक्षण, उसके लिये अपनाई जाने वाली सावधानियां के बारे समुचित रूप से जानकारी दी जाये तथा इसके पोस्टर भी संस्था में उचित स्थान पर लगाए जाएं जहां से विद्यार्थी अवलोकन कर सके ।
9. छात्रावासों/आश्रमों में कोविड-19 के बारे में जागरूकता के शिविर का आयोजन स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से किया जाये।
10. किसी भी विद्यार्थी में कोरोना के संभावित लक्षण दिखायी देते है तो तत्काल उसको अन्य छात्रों से पृथक कक्ष में रखा जाये तथा तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र, जिला नियंत्रण कक्ष, विभागीय अधिकारीयों को सूचित किया जाये ।
11. जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर दिये निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

(3) छात्रावास कर्मचारियों के लिये निर्देश :-

1. छात्रावास में कार्य करने वाले समस्त कर्मचारियों को नियमित रूप से मास्क पहनना अनिवार्य होगा, भोजन बनाने वाले कर्मचारी अपने हाथों को समय-समय पर साबून से धोते रहे, बालों को ढंक कर रखें, खांसते एवं छींकते समय मुह पर रूमाल अथवा मास्क अनिवार्य रूप से पहने ।
2. छात्रावास में भोजन बनाने के लिये बाहर से लाई जाने वाली सामग्री फल, सब्जी, अनाज इत्यादि का विधिवत सेनेटाईजेशन एवं पर्याप्त साफ-सफाई के बाद ही उपयोग में लाई जाये।

3. रसोई में भोजन बनाने वाले कर्मचारी भोजन बनाते समय पहनने वाले कपडे की दो जोड़ी स्थायी रूप से छात्रावास के किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। इन्हीं कपड़ो को पहन कर ही भोजन बनाये छात्रावास परिसर के बाहर इन कपड़ो को पहन कर न जाये तथा इन्हें प्रतिदिन धोयें। बाहर आने जाने के लिए पृथक से कपड़ो की व्यवस्था करें।

उपायुक्त
शिक्षा शाला
आदिवासी विकास
मध्य प्रदेश